राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि / नरेगा / नरेगा / एफआरए / 56468 / 2014 जयपुर, दिनांक : 17 APR 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषयः– **जल उपभोक्ता संगम के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्य कराये जाने बाबत।**

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत कुछ जिलों द्वारा "जल उपभोक्ता संगम" के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्य कराए जाने के संबन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

इस संबन्ध में लेख है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मास्टर परिपत्र 2017–18 के बिन्दु संख्या 7.1.1 में वर्णित है कि "User Associations recognised by the State Government may also be Implementing Agencies."

उक्त प्रावधान के अनुरूप "राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम 2000 एवं नियम 2002" के तहत गठित जल उपभोक्ता संगम योजनान्तर्गत कार्यकारी संस्था हो सकती है।

इस संबन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के समस्त जिलों में जहाँ भी "जल उपभोक्ता संगम" का गठन उक्त नियमों के अनुरूप किया गया है, को योजनान्तर्गत कार्यकारी संस्था बनाया जा सकता है। ये जल उपभोक्ता संगम जल संसाधन विभाग / सिंचित क्षेत्र विकास विभाग की देख–रेख में कार्यों को सम्पादित करायेगें तथा जल उपभोक्ता संगम द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के पर्यवेक्षण, प्रबोधन एवं समयबद्व तरीके से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग / सिंचित क्षेत्र विकास विभाग की रहेगी। साथ ही महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व भी जल संसाधन विभाग / सिंचित क्षेत्र विकास विभाग की होगी।

भवदीय,

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
5. आयुक्त, ईजीएस।
6. संभागीय आयुक्त, समस्त।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिला परिषद राजस्थान।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, बाडमेर।
9. कार्यक्रम अधिकारी सह विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस